संख्या-92/2020/2146जेएल/22-3-2020-200(1)/2020

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधीक्षक,
आदर्श कारागार, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 10 दिसम्बर, 2020***

विषय- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध बंदियों को गृह अवकाश की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-27162/प्रो0अनु0(2)-214/2020/होमलीव, दिनांक 29-10-2020 में किये गये प्रस्ताव/संस्तुति के आधार पर आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध 44 पुरूष सिद्धदोष बंदियों के दण्डादेश के निलम्बन का प्रपत्र दो प्रतियों में संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त बंदियों को आदेश में उल्लिखित धनराशि का निजी बन्धक (PERSONAL BOND) निर्धारित प्रपत्र पर भराने के पश्चात संलग्न सूची के अनुसार उन्हें 15 (पन्द्रह) दिनों के लिए घर जाने हेतु अनिवार्य रूप से एक साथ मुक्त किया जाय। बंदियों को गृह अवकाश पर मुक्त करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि :-

I. बंदी द्वारा आदर्श कारागार, लखनऊ में एक वर्ष की सजा पूर्ण कर ली गयी हो और उसका कार्य एवं आचरण अच्छा हो।

II. यदि कोई बंदी मा0 उच्चतम न्यायालय के सामान्य आदेशों के अन्तर्गत जमानत पर मुक्त किया गया है, उसने अभी कारागार में आत्म समर्पण नहीं किया है तो उसे गृह अवकाश पर मुक्त न किया जाय।

III. यदि बंदी की सजा किसी अन्य प्रदेश में स्थित मा0 न्यायालय से हुयी हो तो उसको गृह अवकाश पर मुक्त न किया जाय।

IV. गृह अवकाश उन्ही बंदियों को स्वीकृत किया जाय जो पैरोल के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार पात्र हों अर्थात हत्या के मामले में 03 वर्ष एवं डकैती सहित हत्या के मामले में 04 वर्ष की अपरिहार सजा भोगी जा चुकी है।

V. बंदी पूर्व वर्षो में स्वीकृत गृह अवकाश की समाप्ति के उपरान्त समय से निर्धारित तिथि पर कारागार में वापस हाजिर हुआ हो।

VI. बंदी के पास रहने के लिए घर हो तथा उसके खाते में श्रम द्वारा अर्जित इतनी धनराशि जमा हो कि गृह अवकाश पर जाने तथा वापस आने के लिए व्यय की जाने वाले धनराशि के पश्चात भी उसके खाते में कम से कम रू0-10.00 शेष रहें।

VII. जिन बंदियों को गृह अवकाश पर मुक्त किया जाएगा उसकी सूचना अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ द्वारा सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक को इस अनुरोध के साथ दी जायेगी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

कि बंदी के गृह अवकाश की अवधि में सम्बन्धित थाने के माध्यम से नियमित निगरानी एवं अवकाश अवधि की समाप्ति के पश्चात उनकी समय से कारागार में वापसी सुनिश्चित करें।

2- उपरोक्त प्रतिबन्धों के अनुसार जो बंदी गृह अवकाश के लिए अर्ह न हों उनके गृह अवकाश स्वीकृति के आदेश शासन को तुरन्त वापस कर दिए जायं।

3- उपरोक्त बंदियों को शासनादेश की एक प्रति उसके प्रस्तर-2 में अवकाश की अवधि की तिथियों को भरने के पश्चात दे दें।

4- बंदियों को अनिवार्य रूप से एक साथ गृह अवकाश पर मुक्त किया जाय। ऐसा न करने पर शासन के आदेशों की अवहेलना माना जायेगा।

5- कृपया तदनुसार कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत करायें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-92/2020/2146जेएल(1)/22-3-2020-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि सूची सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।

2- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ को उनके पत्र संख्या-27162/प्रो0अनु0(2)-214/2020/होमलीव, दिनांक 29-10-2020 के संदर्भ में।

3- गार्ड फाइल।

संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सं0:92/2020/2146जेएल/22-3-2020-200(1)/2020,दिनांक: 10 दिसम्बर,2020 का संलग्नक

क्र0स0	बंदी एवं उसके पिता का नाम	जनपद का नाम	बंदी संख्या
1	संकटा पुत्र जानकी	लखीमपुर खीरी	14013
2	हबीब पुत्र अब्दुल लतीफ	बदायूं	14326
3	सुरेन्द्र पुत्र भोला	उन्नाव	14530
4	भगवानदीन पुत्र सत्यनारायण	उन्नाव	14568
5	इस्लाम पुत्र अली मोहम्मद	एटा	14788
6	राजेन्द्र पुत्र चन्द्रिका	लखीमपुर खीरी	14980
7	लाखन पुत्र जब्बर	हरदोई	15103
8	भगलू लोध पुत्र बटेश्वर लोध	हरदोई	15108
9	बब्लू उर्फ अजय कुमार तिवारी पुत्र सालिकराम	हरदोई	15211
10	अशोक पुत्र रमेश	उन्नाव	15112
11	छोटे सिंह उर्फ मलखान सिंह पुत्र शमशेर सिं	कानपुर नगर	15113
12	सुरेन्द्र सिंह पुत्र शारदा सिं	कुशीनगर	15588
13	अवधेश पुत्र गुरूदीन मुराः	सीतापुर	15592
14	कमलेश पुत्र गुरूदीन मुराउ	सीतापुर	15604
15	बेचेलाल पुत्र धनीराम	उन्नाव	15975
16	जय बहादुर सिंह पुत्र शमशेर सिं	कानपुर नगर	15976
17	राजवीर पुत्र त्रिमल यादव	बदायूं	16025
18	दद्दन यादव पुत्र चन्द्रिका यादव	देवरिया	16098
19	सुभाष पुत्र रामबाबू	अलीगढ़	17081
20	नीरज मिश्रा पुत्र आत्मानन्द मिश्रा	सोनभद्र	17111
21	विजय कुमार पुत्र गजाधर	जौनपुर	17120
22	ताहिर पुत्र छिद्दा	गाजियाबाद	17133
23	राकेश उर्फ बब्लू पुत्र जगन्नाथ	कानपुर नगर	17142
24	विरेन्द्र कुमार पाण्डेय उर्फ गुड्डू पुत्र राम शंकर पाण्ड्य	बस्ती	17207
25	राम चन्दर उर्फ चन्दर पुत्र जिलेदार	गोण्डा	17228
26	शिवनाथ पुत्र जिलेदार	गोण्डा	17229
27	चितरंजन कुर्मी पुत्र सुशील कुर्मी	बलिया	17231
28	राम बहादुर पुत्र सीताराम	गोण्डा	17232
29	रामदेव पुत्र महेन्द्र	पीलीभीत	17266
30	कृष्णपाल उर्फ केशपाल पुत्र सुन्दर लाल	शाहजहांपुर	17272
31	सुरेश पुत्र राम लखन	बहराइच	17294
32	काशीराम पुत्र तुलसीराम	बहराइच	17295
33	सागर पुत्र सालिकराम	बहराइच	17296
34	मुनीम पुत्र रसीद	हरदोई	17074
35	मनोज कुमार पुत्र राजनाथ	गाजीपुर	17113
36	अशोक कुमार पुत्र रामदयाल राम	गाजीपुर	17028
37	मोहन सिंह पुत्र विचित्र सिं	मेरठ	14792
38	पौवा उर्फ पप्पू पुत्र मासूक	कन्नौज	17047
39	निसार पुत्र फारूक	कन्नौज	17048
40	अतीक पुत्र रऊफ	कन्नौज	17162
41	लतीफ पुत्र मासूक	कन्नौज	17189
42	गगन सिंह पुत्र हनुमन्त सिंह	जालौन	14960
43	एहतशाम अली पुत्र स्व0 इलियास अली	कन्नौज	15987
44	शिवकुमार पुत्र गुरूचरन वर्मा	सिद्धार्थनगर	17002

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।